कार्यालय - जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) थावे, गोपालगंज।

काउन्सलिंग सूचना

वेबसाइट- www. Dietthawe.in

इमेल- dietthawe@gmail.com

सेवा पूर्व डी० एल० एड० प्रशिक्षण सत्र 2020–22 के निर्धारित 150 सीटों के लिए चयन सूची संस्थान के वेवसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है। नामांकन हेतु अभ्यर्थियों का चयन उनके नामांकन के पात्रता का घोतक है, नामांकन की अनिवार्यता का नही। चयनित अभ्यार्थी दिनांक 01.02.2021 से 04.02.2021 तक कार्यालय के कार्य दिवसों में प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक निम्न अभिलेखों/दस्तावेजो के साथ संस्थान में नामांकन कराना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि तक नामांकन नही लेने की स्थिति में अभ्यर्थी का नामांकन दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा। नामांकन हेतु चयनित अभ्यर्थी के प्रिंट आवेदन पत्र के प्रविष्टियों का उनके मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन के उपरांत ही उसी समय उन्हे पेमेंट लिंक उपलब्ध कराया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित नामांकन शुल्क संस्थान के वेवसाईट पर ऑनलाइन भुगतान कर भुगतान रसीद कार्यालय में निर्धारित समय के अन्दर जमा करना होगा जिसके बाद ही उनके नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण होगी।

नामांकन के समय आवेदन पत्र में वर्णित निम्न मूल प्रमाण-पत्रों एवं शर्तो के साथ उपस्थित होंगें-

1. ऑनलाइन आवेदन प्रिंट की प्रति।
2. मैट्रिक परीक्षा पास करने का मूल प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र।
3. इंटर परीक्षा का मूल अंक पत्र एवं प्रमाण-पत्र।
4. आवासीय प्रमाण पत्र का मूल प्रति। (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो)
5. आरक्षित कोटि एवं विशेष आवश्यकता वाले अभ्यर्थी सक्षम पदाधिकारी से निर्गत जाति/दिव्यांग प्रमाण-पत्र, आर्थिक रूप से पिछड़ेपन EWS की मूल प्रति।
6. अंतिम शिक्षण संस्थान से निर्गत महाद्यियल परित्याग प्रमाण-पत्र / स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र
7. शिक्षण शुल्क के रूप में सामान्य, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी 11500(ग्यारह हजार पाँच सौ रूपये) तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं दिव्यांग अभ्यर्थी 7000 (सात हजार रूपये) शुल्क का भुगतान ऑनलाइन जमा करना होगा।
8. सभी मूल प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति की दो सेट, पाँच पासपोर्ट साईज फोटो एवं सभी मूल प्रमाण-पत्र एवं अभिलेख दो फाईल फोल्डर में एवं दो लिफाफा जमा करेंगें।
9. स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र (रजिस्टर्ड चिकित्सक के द्वारा)
10. प्रवजन प्रमाण–पत्र
11. चरित्र प्रमाण–पत्र (अंतिक संस्थान प्रमुख द्वारा या किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्गत)
12. प्रमाण पत्रों की सत्यता से संबंधित शपथ पत्र (प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी या कार्यपालक दंडाधिकारी)
13. अभ्यर्थी द्वारा नामांकन शुल्क के रूप में जमा की गयी राशि किसी भी स्थिति मे वापस नही की जाएगी।
14. उपर्युक्त सभी शर्तो को पूरा करने पर आपका नामांकन औपबंधिक रूप से किया जायेगा।

नोट:- 1. महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र के साथ सभी मूल प्रमाण पत्र नामांकन के समय लाना अनिवार्य है।

2. गृह मंत्रालय, भारत सरकार के कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

27/01/2021

27/1/2021